



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-11/2025/64

23/6/2025

मैसर्स गणपति ग्रीन्स जरिये पार्टनर
श्री शशिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा
निवासी-119/552, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर
जयपुर (राज0)।

विषय:-निजी खातेदारी की आवासीय योजना "समुराई वैली विस्तार", ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आन्तरिक विकास कार्य के पेटे 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये संपूर्ण भूखण्डों को रहन मुक्त कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर निजी खातेदारी की आवासीय योजना "समुराई वैली विस्तार", ग्राम मदाऊ, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के आन्तरिक विकास कार्य के पेटे 12.50 प्रतिशत रहन रखे गये संपूर्ण भूखण्डों रहन मुक्त कर दिया गया है एवं रहन मुक्ति का अंकन मूल योजना मानचित्र में कर मूल योजना मानचित्र रिकॉर्ड शाखा में दर्ज किया गया है।

अतः मूल योजना मानचित्र पर रहन मुक्ति की टिप्पणी अंकित की जाकर योजना मानचित्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- 12.50 प्रतिशत रहन मुक्त योजना मानचित्र की प्रति।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Upendra Kumar
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.06.20 16:13:10 IST
Reason: Approved



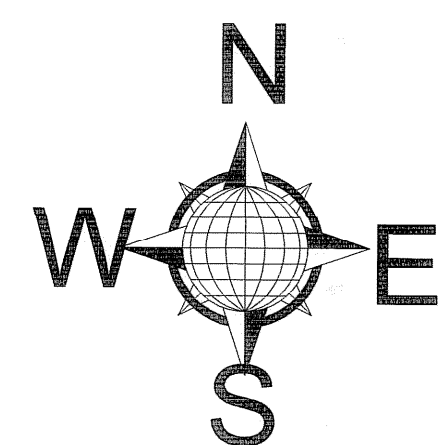
रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरासर्किल, जवाहरलाल नेहरूमार्ग, जयपुर-302 004
दुरभाष- +91-141-2574798 : ईपीबीएक्स- +91-141-2569696 एक्सटें. 7402 : फ़ैक्स-+91-141-2574555

Ref No.: 16057667

1424
B.
13.5.24

PROPOSED LAYOUT PLAN OF "SAMURAI VALLEY EXTN."

AT VILLAGE :- MANDAU, TEH.:- SANGANER, JAIPUR.



SCALE:- 1C.M. = 2 Mtr.

JAD APPROVED SCHEME
"SAMURAI VALLEY" "I"

EXISTING ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

367

690/679

685/378

688/377

689/377

408

409

- सी.एल.पी.) की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में लिया गया:-
- योजना में सम्मिलित सभी खसरे की 90ए का निर्णय दिनांक 28.07.2023 को पारित किया गया है।
 - योजना की भूमि राजपुर अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं खसरा सीमा प्रमाणिकरण दस्तावेज द्वारा किया गया है।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवेदित खसरों का नामान्तरण जपिगा के नाम दर्ज है।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना में फुटकर व्यावसायिक ब्लॉक के भूखण्ड की प्लानिंग आदेश दिनांक 20.02.2023 एवं सी.पी.सी. (एल.पी.) द्वारा जारी यू.ओ. नोट दिनांक 25.11.2021 के अनुसार रखा जाकर भूखण्ड का पृथक से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाया जायेगा।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के समतुल्य सार्वि का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना मानचित्र टाउनशिप पॉलिसी 2810 के प्रावधानानुसार जारी किया गया है।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर भवन-मानदण्ड भवन विनियम 2020 के अनुसार रखे गये हैं।
 - सी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार प्रकल्प से सम्बन्धित समस्त लेख सार्वि यथा बी.एस. यू.पी./विकास शुल्क / पुर्यग्रहण आदि (जो भी लेय हो) का मांग पत्र जारी किया जा चुका है।
 - सी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आंतरिक विकास कार्य की एवज में 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के निम्न भूखण्ड जपिगा में रहन रखे गये हैं :-
भूखण्ड संख्या 8.9 कुल 2 क्षेत्रफल 186.50 वर्गमीटर रहन रखे गये हैं। शिन्का अंकन मानचित्र पर कर दिया गया है।

तहसीलदार
जोन-11

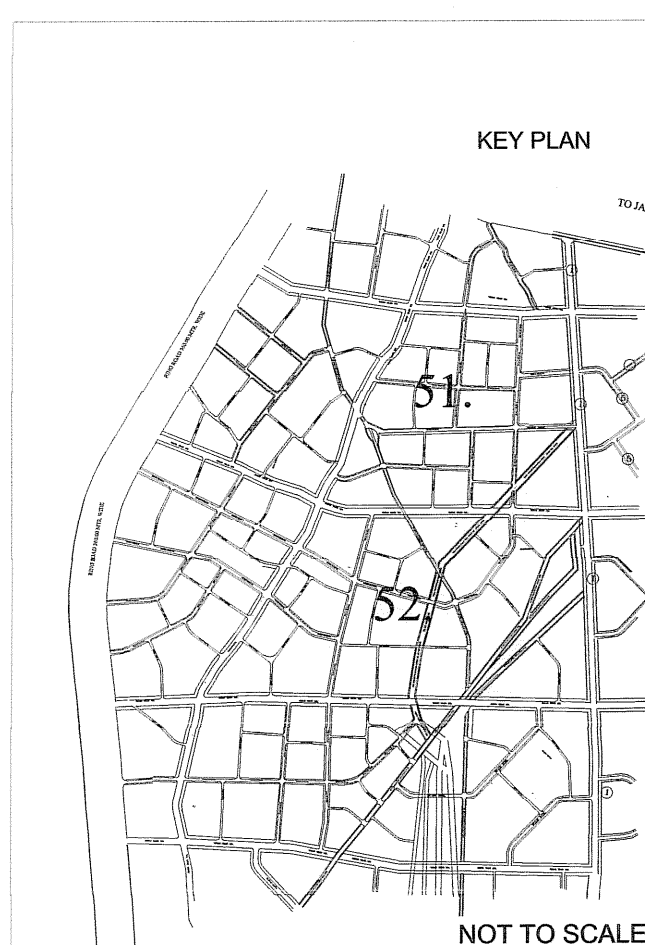
उप नगर नियोजक
जोन-11

उपायुक्त जॉन-11

अति. मुख्य नगर नियोजक
सी.पी.सी.(एल.पी.)

उप नगर नियोजक
(जोन-11)

उपायुक्त जॉन-11



NOT TO SCALE

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग
भूखण्डों की निर्माण स्थिति :-

- आवासीय व्यावसायिक
- पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्ड -
 - चार दीवारी निर्मित भूखण्ड -
 - खाली भूखण्ड 11

कुल भूखण्ड

मौके के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

क्रमांक	भू उपयोग	क्षेत्रफल (Sq.mtr)	प्रतिशत
1	आवासीय	1151.68	54.85 %
2	फुटकर व्यावसायिक	105.47	5.02%
3	कचरा निस्तारण केन्द्र	62.65	2.98%
4	टेलीकॉम टॉवर	10.00	0.48%
5	PARK	105.49	5.02%
6			
7	सड़क	664.71	31.65%
8			
9			
10			
11			
कुल योजना क्षेत्र		2100.00	100.00%

योजना की भूमि की राजपुर अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही एवं मौके पर भूमि का प्रमाणिकरण सेरे द्वारा किया गया। योजना की पूरी भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है।

नाम
तहसीलदार

नाम
उपायुक्त जॉन:-

सी.पी.सी. / जी. एल. सी. की बैठक संख्या दिनांक

की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

ZONE NO. 11

SECTOR NO.51

SCALE 1=

DRG. NO.

A.T.P. ZONE

D.T.P.

S.T.P.

NAME OF SCHEME :- "SAMURAI VALLEY EXTN."

VILLAGE :- MANDAU

TEH. :- SANGANER

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR